

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 21, बुधवार, शाके 1933-जनवरी 11, 2012 Pausa 21, Wednesday, Saka 1933-Jsnuary 11, 2012	

274

भाग 1 (क)
नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग
अधिसूचनाएं

जयपुर, जनवरी 5, 2012

संख्या प. 23(2) चि. एवं स्वा. 3/2003 पार्ट :- गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प. 23(2) चि. एवं स्वा. 3/2003 पार्ट दिनांक 10-8-2009 को अधिक्रमित करते हुए जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर निम्नानुसार समुचित प्राधिकारी नियुक्त करती हैं :-

जिला स्तर पर :-

सम्पूर्ण राजस्व जिले के लिए

जिला कलक्टर

उपखण्ड स्तर पर :-

सम्पूर्ण राजस्व उपखण्ड के लिए

उपखण्ड अधिकारी

(SUB-DIVISIONAL OFFICER)

जयपुर, जनवरी 10, 2012

संख्या प. 23(2) चि. एवं स्वा. 3/2003 पार्ट :- गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 28 की उप-धारा के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा पुलिस द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अनुसंधान किये गये मामलों में उप निरीक्षक पुलिस से अनिम्न पंक्ति के (Not below the rank of Sub Inspector of Police) पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सत्यप्रकाश बसवाला,
उप शासन सचिव।